फोन न0 0612–2219545 (का0)
फैक्स न0–0612–2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

समाहरणालय, पटना।

(शस्त्र शाखा)

–: आदेश :–

आवेदिका **श्रीमती सीमा रंजन सिंह,** पति–श्री राजीव रंजन, सा0–DE/4, R.R. Complex, ए0 एन0 पथ, उत्तरी श्रीकृष्णापुरी, थाना–श्रीकृष्णापुरी, जिला–पटना से प्राप्त एक एन0पी0बोर रायफल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–09–494/2011 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से जाँच/सत्यापन प्रतिवेदन की माँग की गई।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक–1099/गो0, दिनांक–16.12.2011 द्वारा आवेदिका के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को जाँचोपरान्त अधीनस्थ पदाधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में बिना अनुशंसा के मूल में आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया है। पुलिस उपाधीक्षक, सचिवालय, पटना द्वारा थानाध्यक्ष, श्रीकृष्णापुरी के जाँच प्रतिवेदन के कंडिका–10 में अंकित टिप्पणी के आलोक में आवेदिका के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को बिना अनुशंसा के अग्रसारित किया गया है। थानाध्यक्ष, श्रीकृष्णापुरी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वे Contractor and Builder हैं। तदोपरान्त आवेदिका के जान–माल के सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है। आवेदिका को विशेष सुरक्षा भय होने के संबंध में कोई विशेष तथ्य नहीं प्रतिवेदित किया गया है। थानाध्यक्ष द्वारा जाँच प्रतिवेदन की कंडिका–10 के सभी बिन्दुओं पर 'नहीं' प्रतिवेदित करने के बावजूद आवेदिका को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है, लेकिन इसके लिए कोई कारण नहीं बताया गया है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13 (2) के तहत प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन, आवेदिका के आवेदन एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदिका को सुरक्षा के बिन्दु पर कोई विशेष सुरक्षा भय/खतरा नहीं है तथा उन्हें एक एन0पी0बोर रायफल हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदिका श्रीमती सीमा रंजन सिंह, पति–श्री राजीव रंजन, सा0–DE/4, R.R. Complex, ए0 एन0 पथ, उत्तरी श्रीकृष्णापुरी, थाना–श्रीकृष्णापुरी, जिला–पटना के आवेदित एक एन0पी0बोर रायफल अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र को **अस्वीकृत** किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।